तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/9/19	वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा होने से उक्त अनवान प्रकरण की पत्रावली आवश्यक सुनवाई हेतु तलब फरमाकर राजीनामा तस्दीक करवाने बाबत पेश किया। जिस पर पत्रावली आज तलब की गई। वादीगण संख्या 1 से 6 तक उपस्थित। वादी वकील श्री प्रकाशसिंह देवड़ा उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादीगण संख्या 1 से 6 की पहचान की गई। प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित जिसकी पहचान अधिवक्ता श्री जबराराम पुरोहित द्वारा की गई। वादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। वादीगण को मौजा रोपसी के खसरा नम्बर 2559/17 रकबा 1.67 हैक्टेयर, खसरा नं. 2560/18 रकबा 0.41 हैक्टेयर, ख.नं. 2558/17 रकबा 0.74 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2561/18 रकबा 0.31 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.13 हैक्टेयर आराजी में हमारे हिस्से बाबत वैध प्रतिफल हम वादीगण को प्राप्त हो गया है तथा उक्त आराजी पर पूर्व में कब्जा हमारे चाचा जैसा, जुंजा पिसरान रुपाजी जाति भील निवासी रोपसी तहसील रानीवाड़ा का था तथा हम वादीगण या हमारे पिता धुखा वल्द रुपाजी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा जैसा, जुंजा पिसरान रुपाजी द्वारा उक्त आराजी का बेचान कालान्तर में किया गया था तथा उक्त आराजी का जैसा, जुंजा पिसरान रुपाजी जाति भील निवासी रोपसी द्वारा किया गया बेचान हमें स्वीकार है, हमने हमारा हक इस राजीनामे की रूह से तर्क कर दिया है। अब मौके पर बक्त खरीद से आप प्रतिवादी लीलादेवी पत्नि	जोगाराम लीला

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	माधाराम जाति भील निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल का कब्जा काश्त है जिस बाबत हम वादीगण को कोई उजर एतराज नही है। उक्त सम्पति आप लीलादेवी के मालिकाना की होना हमें स्वीकार है। हम अथवा हमारे वारीसान भविष्य में उक्त आराजी मौजा रोपाती में उपरोक्त खसरान बाबत कोई हक, हिस्सा, रस, स्वत्व, क्लेम नहीं करेगे तथा इस राजीनामा से हमारे वारीसान भी पाबंद रहेगे। उपरोक्त अनवान प्रकरण मे हम वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 5 के साथ लोक अदालत की भावना व आपसी समझाइश से राजीनामा स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के स्थिर बुद्धि की हालत मे किया है तथा खर्चे हर्जे बाबत हमें कोई उजर एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरुद्ध हमें कोई अनुतोष नही चाहिये। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा का निस्तारण राजीनामा अनुसार करने का आदेश फरमावें। उक्त राजीनामा मे लिखी हुई इबारत को पुन पढ़कर सुनाई गई तो उपस्थित पक्षकारान ने राजीनामा मे लिखी हुई इबारत को सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान श्री लवणसिंह देवड़ा अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 5 की पहचान श्री जबराराम पुरोहित अधिवक्ता द्वारा कराई गई। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजीनामा तस्दीक किया जाता है।	

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

P.T.O.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	अहकाम की तामील
	अत: उपरोक्त राजीनामा के आधार पर सरहद मौजा शेपती के खेत खसरा नम्बर 2559/17 रकबा 1.67 है०, खसरा नं. 2558/17 रकबा 0.74 है०, खसरा नं० 2560/18 रकबा 0.41 है० व खसरा नम्बर 2561/18 रकबा 0.31 है० कुमले रकबा 3.13 हैक्टेयर आरजी में वादीगण मृतक धुखा वल्द रूपाजी के विधिक वारीसान जोगाराम वल्द धुखाराम, केसीदेवी पत्नि धुखाराम, पवनी, पेपी, पेखु, सुबरी पुत्रिया धुखाराम को उक्त आराजी मे इनके हिस्से का वैध प्रतिफल प्राप्त होने से यह उक्त आराजी मे कोई हक, हिस्सा, रस, स्वत्व, क्लेम नही करेगें तथा उक्त राजीनामा से वादीगण व उनके वारीसान भी पाबंद रहेगे। अत वादीगण ने राजीनामा होने से अदालत हाजा से कोई अनुतोष नही चाहा है। अत वादीगण का वाद राजीनामा होने से खारीज किया जाता है। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.11.25 12:33:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: